

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या - 07/2016/उदयपुर
(सम्बन्धित अपील संख्या-1849/2013/उदयपुर)

मै0 सद्भाव इंजीनियरिंग लि0, उदयपुर

.....प्रार्थी(अपीलार्थी)

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापन-प्रथम,
बांसवाड़ा

.....अप्रार्थी(प्रत्यर्थी)

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री श्याम बोकड़िया,
अधिकृत प्रतिनिधि

.....प्रार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा,
उप-राजकीय अभिभाषक

.....अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 14/06/2016

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा यह संशोधन प्रार्थना-पत्र माननीय राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 1849/2013/उदयपुर में एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.03.2016 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 1849/2013/उदयपुर निर्णय दिनांक 04.03.2013, जिसमें प्रार्थी ही द्वारा सहवन से उनवान मै0 सद्भाव इंजीनियरिंग लि0, उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर हो गया था। जिसे सुधारा जाकर उनवान में मै0 सद्भाव इंजीनियरिंग लि. उदयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-प्रथम, उदयपुर करने का निवेदन किया।
3. अप्रार्थी के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने इस पर एतराज जाहिर किया।
4. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ के निर्णय दिनांक 04.03.2016 में संशोधन की मांग की है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से भी स्पष्ट है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन प्रथम, बासवाड़ा ने दिनांक 07.08.2012 को प्रार्थी के विरुद्ध कर निर्धारण आदेश पारित किया था। उक्त आदेश के विरुद्ध ही प्रार्थी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। प्रार्थी उक्त अपील निर्णय दिनांक 07.08.2013 के द्वारा

लगातार.....2


Amun
14/06/16



परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या - 07/2016/उदयपुर
(सम्बन्धित अपील संख्या-1849/2013/उदयपुर)

अस्वीकार कर दी गई। प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध कर बोर्ड के समक्ष अपील सं. 1849/2013/उदयपुर प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रत्यर्थी/विपक्षी का नाम सहवन से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन प्रथम, बासवाड़ा के स्थान पर वाणिज्यिक कर अधिकारी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लिजिंग टैक्स, उदयपुर अंकित किया गया। जबकि उक्त प्रकरण में प्रार्थी के विरुद्ध वाणिज्यिक कर अधिकारी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लिजिंग टैक्स, उदयपुर ने कोई आदेश ही पारित नहीं किया है।

5. परिमाणस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र सं. 7/16/उदयपुर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है और वांछित संशोधन की अनुमति प्रदान की जाती है।
6. अतः अपील सं. 1849/2013/उदयपुर के उनवान में मैसर्स सदभाव इंजीनियरिंग लि. उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लिजिंग टैक्स, उदयपुर के स्थान पर उनवान में "मैसर्स सदभाव इंजीनियरिंग लि. उदयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन-प्रथम, बासवाड़ा" पढ़ा जायेगा। उक्त अपील के निर्णय दिनांक 04.03.2016 में भी उक्त संशोधन का पृष्ठांकन अंकित किया जायें।
7. उक्त निर्णय के एक प्रति अपील संख्या 1849/2013/उदयपुर में संलग्न की जाये। उक्त परिशोधन प्रार्थना पत्र फ़ैसलशुमार होकर अपील सं. 1849/13/उदयपुर के साथ संलग्न रहें।
8. निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी)
सदस्य

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHILOSOPHY DEPARTMENT

PHILOSOPHY 101

LECTURE NOTES

PLATO'S THEORY OF IDEAS

PLATO'S THEORY OF IDEAS

PLATO'S THEORY OF IDEAS

PLATO'S THEORY OF IDEAS

PLATO'S THEORY OF IDEAS

PLATO'S THEORY OF IDEAS

PLATO'S THEORY OF IDEAS

PLATO'S THEORY OF IDEAS

PLATO'S THEORY OF IDEAS

PLATO'S THEORY OF IDEAS

PLATO'S THEORY OF IDEAS

PLATO'S THEORY OF IDEAS

PLATO'S THEORY OF IDEAS

PLATO'S THEORY OF IDEAS